संख्या-98/2021/1718 /26-3-2021-1(17)/2021

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 09 अगस्त 2021

विषयः- **प्रदेश में आधार प्रमाणीकरण हेतु अधिकृत SUB-AUA द्वारा लाइसेंस फीस जमा किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-233/स0क0/शिक्षा-अ/3/96-2/2021-22, दिनांक-21.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में आधार प्रमाणीकरण हेतु अधिकृत **SUB-AUA** द्वारा लाइसेंस शुल्क रू0-3,00,000/- तथा 18 प्रतिशत आई0जी0एस0टी0 रू0-54,000/- अर्थात कुल रू0-3,54,000/- वित्तीय वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति योजना के कम्प्यूटरीकरण एवं अनुश्रवण योजना में अनुदान संख्या-83 के मानक मद-42 में जारी वित्तीय स्वीकृति से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में आधार प्रमाणीकरण हेतु अधिकृत **SUB-AUA** द्वारा लाइसेंस शुल्क रू0-3,00,000/- तथा 18 प्रतिशत आई0जी0एस0टी0 रू0-54,000/- अर्थात **कुल रू0-3,54,000/-(रूपये तीन लाख चौव्वन हजार मात्र)** के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-13-42 में प्राविधानित धनराशि रू0-200.00 लाख में से व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

पृ.संख्या-98/2021/1718 (1)/26-3-2021 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।